न्यायालय सहायक कलेक्टर आबूरोड
पीठासीन अधिकारी–शंकर लाल मीना, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 27/2025
दिनांकः– 18/11/2025

श्री नीरज राणा पुत्र श्री मोहनलाल राणा, उम्र बालिग, जाति भील निवासी कुम्हार मौहल्ला, ईदगाह रोड, तहसील आबूरोड, जिला सिरोही राजस्थान।

प्रार्थी..........

बनाम्

1. कैलाश पुत्री अम्बालाल, उम्र बालिग, जाति पटेल, निवासी नया खेडा सांतपुर, तहसील आबूरोड, जिला सिरोही राजस्थान।
2. जया पुत्री अम्बालाल, उम्र बालिग, जाति पटेल, निवासी नया खेडा, सांतपुर, तहसील आबूरोड, जिला सिरोही राजस्थान।
3. निमिषा पुत्री अम्बालाल, उम्र बालिग, जाति पटेल, निवासी नया खेडा, सांतपुर, तहसील आबूरोड, जिला सिरोही राजस्थान।
4. रेखा पुत्री अम्बालाल, उम्र बालिग, जाति पटेल, निवासी नया खेडा, सांतपुर, तहसील आबूरोड, जिला सिरोही राजस्थान।
5. हिना पुत्री अम्बालाल, उम्र बालिग, जाति पटेल, निवासी नया खेडा, सांतपुर, तहसील आबूरोड, जिला सिरोही राजस्थान।
6. हिरेन पुत्री अम्बालाल, उम्र बालिग, जाति पटेल, निवासी नया खेडा, सांतपुर, तहसील आबूरोड, जिला सिरोही राजस्थान।
7. शारदा पत्नि रमेश, उम्र बालिग, जाति गरासिया, निवासी चन्द्रावती, तहसील आबूरोड, जिला सिरोही राजस्थान।
8. राजस्थान जरिये तहसीलदार महोदय, आबूरोड।

अप्रार्थीगण......

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश

यहकि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर कथन किया कि यह कि प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 6117/774 रकबा 0.7587 हैक्टेयर मौजा चन्द्रावती, पटवार हल्का मावल, तहसील आबूरोड, जिला सिरोही में स्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज एवं काश्त है। यह कि प्रार्थी की कृषि भूमि से लगती अप्रार्थीगण सं. 1 से 06 की खसरा नंबर 241, रकबा 0.5564 हैक्टेयर की भूमि स्थित है। व अप्रार्थी संख्या 07 की खसरा नं. 6118/774 रकबा 0.5690 हैक्टेयर भूमि खातेदारी की स्थित है अप्रार्थी संख्या 1 से 06 की उक्त खसरा संख्या 241 की भूमि के सामने से खसरा नंबर 231/1 की भूमि रेकर्डेड रास्ता है।

––2

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

उक्त रास्ते से प्रार्थी, आप्रार्थीगण संख्या 01 से 06 की खसरा नंबर 241, एवं अप्रार्थी संख्या 07 की खसरा नंबर 6118/774 की भूमि में से होकर अपने खातेदारी भूमि तक पहुंचता है एवं आवागमन के साधनों को भी अपने खातेदारी भूमि तक ले जाता है। प्रार्थी की खसरा नं. 6117/774 की कृषि भूमि से मुख्य सड़क तक आवागमन हेतु कृषि यंत्रों के साधनों को लाने व ले जाने हेतु कोई वैकल्पिक रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नही है अप्रार्थीगण संख्या 1 से 06 की खसरा नंबर 241 एवं अप्रार्थीगण संख्या 07 की खसरा नंबर 6118/774 की भूमि में से सबसे नजदीक आसान एवं सुलभ मार्ग है जो मुख्य सड़क से जोडती है जिसमें से रास्ते हेतु प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश है। उक्त वर्णित प्रार्थी की कृषि भूमि से मुख्य मार्ग तक आने जाने एवं कृषि यंत्र लाने ले जाने हेतु कोई रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नही है प्रार्थी के भूमि तक कोई ऐसा रास्ता उपलब्ध नही होने से प्रार्थी अपनी भूमि का विकास वर्धन नही कर सकता है जिस कारण प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश है। प्रार्थी को उक्त वर्णित खसरा नं. 6117/774 की भूमि तक स्वयं हेतु तथा उसके वाहन एवं कृषि यंत्रों को लाने ले जाने हेतु न्यूनतम 30 फीट चौडा रास्ता उपलब्ध नही कराया जाता है तो उक्त वर्णित अपनी खसरा नंबर 6117/774 की कृषि भूमि में समुचित उपयोग उपभोग से व विकास वर्धन से वंचित हो जायेगा एवं प्रार्थी को भारी असुविधा व कठिनाईयों का सामना करना पडेगा प्रार्थी के पास अप्रार्थीगण की उक्त खसरे वाली भूमि में से उनकी कृषि भूमि तक आवागमन हेतु एक मात्र मार्ग के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक एवं निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है यह मार्ग प्रार्थी को दिया जाना विधि सम्मत होगा। उक्त मार्ग प्रार्थी को अपनी भूमि तक कृषि यंत्रों को लाने ले जाने व अपनी भूमि का विकास वर्धन के लिए उपलब्ध होने वाला लघुत्तम व निकटतम मार्ग होने से प्रार्थी की खसरा नंबर 6117/774 की भूमि से रास्ते तक स्वयं के आवागमन व कृषि यंत्रो वाहनो को लाने ले जाने हेतु अप्रार्थीगण संख्या एक से छः की खसरा नंबर 241 एवं अप्रार्थीगण संख्या 07 की खसरा नंबर 6118/774 की भूमि मे से न्युनतम 30 फीट चौडा रास्ता बएवज मुआवजा दिलवाने का कथन किया है।

मैने प्रकरण को रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये। जो तामिलशुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किये गये। अप्रार्थीगण संख्या एक से चार व छः तथा सात अनुपस्थित रहने से इनका जवाब बंद किया जाकर इनके विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किये गये। अप्रार्थी संख्या पांच की ओर से श्री जितेन्द्र सुराणा अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया।

—3

न्यायालय सहायक कलेक्टर आबूरोड (जिला-सिरोही)

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

अप्रार्थी संख्या आठ राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार आबूरोड से जवाबदावा मय निर्धारित प्रपत्र मे रिपोर्ट प्राप्त। तहसीलदार आबूरोड की रिपोर्ट कमांक राजस्व/ कोर्ट/ 2025/429 दिनांक 13.10.2025 अनुसार ग्राम चन्द्रावती का खसरा नंबर 231/1 रेकर्डेड रास्ता है, खातेदार के खेत तक जाने के लिए खसरा नंबर 6118/774, 241, 233 मे से आना जाना होना बताया है एवं प्रार्थी खातेदार के खेत तक जाने के लिए रेकर्ड मे कोई रास्ता उपलब्ध नही होने का कथन किया है। उक्त रिपोर्ट के संलग्न नक्शा किश्तवार अनुसार उक्त प्रार्थी के पडौसी खातेदारो की कृषि आराजी मौजा चन्द्रावती पटवार हल्का मावल के खसरा नंबर 241, 6118/774 मे से रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

मैने बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। मैने बहस का मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया। बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन के आधार पर प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी कृषि भूमि मौजा चन्द्रावती, पटवार हल्का मावल, तहसील आबूरोड के खसरा नंबर 6117/774 रकबा 0.7587 हैक्टेयर की कृषि आराजी पर आवागमन एवं कृषि सयंत्रों को लाने ले जाने हेतु मौके पर रास्ता उपलब्ध नही होने से तहसीलदार आबूरोड की रिपोर्ट कमांक राजस्व/ कोर्ट/ 2025/ 429 दिनांक 13.10.2025 अनुसार ग्राम चन्द्रावती का खसरा नंबर 231/1 रेकर्डेड रास्ता है, खातेदार के खेत तक जाने के लिए खसरा नंबर 6118/774, 241, 233 मे से आना जाना होना बताया है एवं प्रार्थी खातेदार के खेत तक जाने के लिए रेकर्ड मे कोई रास्ता उपलब्ध नही होने का कथन किया है। उक्त रिपोर्ट के संलग्न नक्शा किश्तवार अनुसार उक्त प्रार्थी के पडौसी खातेदारो की कृषि आराजी मौजा चन्द्रावती पटवार हल्का मावल के खसरा नंबर 241, 6118/774 मे से रास्ता प्रस्तावित किया गया है। जिसे न्यायहित मे स्वीकार किया जाकर प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि तक आवागमन हेतु तीस फुट रास्ता संलग्न नक्शा किश्तवार अनुसार दिये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार आबूरोड को उपरोक्तानुसार रास्ता हेतु प्रभावित कृषि भूमि की नपाई कर उक्त ग्राम की वर्तमान जिला स्तरीय कमेटी द्वारा कृषि भूमि की निर्धारित दर की दौगुनी राशि से गणना तहसील राजस्व लेखाकार से करवाकर निर्धारित राशि का संबंधित खातेदारो को बाद भुगतान की कार्यवाही कर संलग्न नक्शा किश्तवार अनुसार राजस्व रेकर्ड मे नामान्तरकरण एवं रास्ता तरमीम करने की कार्यवाही करने के आदेश दिये जाते है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

913 20/11/25

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

प्रतिलिपिः—तहसीलदार, आबूरोड को मय नक्शा किश्तवार की मूल प्रति के उपरोक्त आदेशानुसार पालनार्थ प्रेषित है।

सहायक कलेक्टर आबूरोड (जिला-सिरोही)

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)